कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय–आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा प्रधानाध्यापक–मावि एवं समकक्ष के अभ्यर्थियों के चयन उपरान्त इस कार्यालय को भिजवाई गई अभिस्तावना के आधार पर इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा /मा /संस्था /बी–T /45001/ पीएससी/2013 दिनांक 13.09.2013 (कुल 77 आदेश) द्वारा कुल 1516 अभ्यर्थियों के पदस्थापन आदेश प्रथम चरण में जारी किये गये। तत्पश्चात आरपीएससी से अभिस्तावना, अनुभव प्रमाण पत्र की जांच, आवेदन पत्रों की जांच एवं इस प्रकार के विविध कारणों के आधार पर शेष अभ्यर्थियों के आदेश दिनांक 13.09.2013 के पश्चात जारी किये गये। इस प्रकार दिनांक 13.09.2013 के पश्चात जारी होने वाले आदेशों से सम्बन्धित अभ्यर्थी श्री अनिल कुमार मीणा द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में याचिका संख्या 4574/2021 श्री अनिल कुमार मीणा बनाम राज्य सरकार एवं अन्य दायर कर राजस्थान लोक सेवा आयोग वरीयता में स्वयं से न्यून वरिष्ठता धारक कार्मिकों के समान वरिष्ठता, वेतन वृद्धि एवं अन्य पारिणामिक लाभ दिये जाने की मांग की गई।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने एस.बी सिविल याचिका संख्या 4574/2021 श्री अनिल कुमार मीणा बनाम राज्य सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.03.2021 द्वारा अनिल कुमार मीणा का प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष एक विस्तृत अभ्यावेदन पेश करने और याचिकार्थीगण द्वारा पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन पेश किये जाने की स्थिति में प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा उसे पूर्व निर्णीत प्रकरण एस.बी.सिविल याचिका संख्या 7283/2014 मनोज खण्डेलवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के परिप्रेक्ष्य में एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) के जरिये निस्तारित करने सम्बन्धी आदेश प्रदान किये गए। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में दायर याचिका संख्या 7283/2014 के अन्तर्गत जारी निर्णय दिनांक 16.07.2014 द्वारा मुख्य रूप से यह आदेश दिया गया:–

Having regard to the fact of the case, writ petion is disposed of requiring the petitioners to make a representation to respondent no2.-Director, Secondary education, Bikaner, along-with a copy of this order, who shall, after verifying the facts stated above, consider and decide the same by a speaking order within a period of three months from the date of its making, addressing the grievance of the petitioners for extending them the relief as prayed for, as the candidates, <u>who stood lower in merit, are getting benefit of higher pay, seniority, annual grade increments and other service benefits including the selection scales. If the respondent no.2 decides to place the petitioners above in seniority than the candidates who stood lower in merit, then the petitioners would be entitled to all benefits of seniority but they would be entitled only to notional benefits.</u>

माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के क्रम में याचिकार्थी श्री अनिल कुमार मीणा द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत जिनमें इनके द्वारा आदेश दिनांक 13.09.2013 के अनुसार ही स्थायीकरण एवं प्रधानाध्यापक पद पर नियमित वेतन व कनिष्ठ कार्मिक के बराबर परिलाभ की मांग मुख्य रूप से की गई है:–

क्र.स.	नम	जन्म दिनांक	मेरिट न0	वर्तमान पद एवं पदस्थापन स्थान	प्रधानाध्यापक(मा.वि.) पद पर नियुक्ति आदेश दिनांक	प्रधानाध्यापक पद पर कार्यग्रहण दिनांक
01	02	03	04	05	06	07
01	ANIL KUMAR MEENA	07.07.1982	1309–A	Govt.Sec.School Bhawari(213843), Sirohi	27.06.2018	16.07.2018

Page No:-01 to 02

उपर्युक्त अभ्यर्थी श्री अनिल कुमार मीणा के अभ्यावेदन का माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में दायर याचिका संख्या 7283/2014 के अन्तर्गत जारी निर्णय दिनांक 16.07.2014 एवं नियमों के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया गया। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा प्रधानाध्यापक (मावि) एवं समकक्ष अभ्यर्थियों के चयन उपरान्त विभिन्न चरणों में अभ्यर्थियों के पदस्थापन राजस्थान सेवा नियम–8 के तहत नियत मानदेय/विद्यमान वेतनमान (पूर्व से सेवारत) पर दो वर्ष के परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण काल में की गई थी। उपर्युक्त उल्लिखित अभ्यर्थी श्री अनिल कुमार मीणा से कनिष्ठ वरीयताधारी कार्मिक सुनिता कुमारी मीणा (वरीयता क्रमांक–2067) जन्म तिथि 20.01.1975 का पदस्थापन इस कार्यालय के उपर्युक्त उल्लिखित प्रथम आदेश दिनांक 13.09.2013 द्वारा किया गया था, जिसके क्रम में सुनिता कुमारी द्वारा दिनांक 16.09.2013 को कार्यग्रहण किया। सुनीता कुमारी मीणा द्वारा परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण काल सफलतापूर्वक पूर्ण किये जाने के उपरान्त दिनांक 17.09.2015 को नियमित वेतन श्रृखला एवं ग्रेड–पे प्रदान किय गये। माननीय न्यायालय निर्णयानुसार याचिकार्थी श्री अनिल कुमार मीणा के द्वारा परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण काल सफलतापूर्वक पूर्ण किये जाने की तिथि (स्थाईकरण) से कनिष्ठ वरीयताधारी कार्मिक सुनिता द्वारा उक्त तिथि तक प्राप्त वेतनवृद्धि, सलेक्शन स्केल एंव अन्य सेवा परिलाभ की काल्पनिक गणना करते हुए उनके द्वारा वर्तमान में प्राप्त किये जाने वाले वेतन के अनुसार वेतन नियतन किया जाकर वास्तविक लाभ याचिकार्थी श्री अनिल कुमार मीणा को प्रदान किया जाता है। माननीय न्यायालय के निर्णयानुसार राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जारी वरीयता के अनुसार याचिकार्थी को वरिष्ठता का लाभ प्राप्त करने के अधिकारी होंगे। उपर्युक्तानुसार अभ्यावेदन निस्तारण किया जाता है। सभी सम्बन्धित सूचित हों।

(काना राम)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक शिविरा/मा/संस्था–एबी/ए–2(बी–III)/कोक/या0–4574/2021/अनिल कुमार मीणा/29-30 दिनांक 01.04.2022

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल एंव संस्कृत शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त विधि परामर्शी, शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय–हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
5. सम्बन्धित संयुक्त निदेशक(स्कूल शिक्षा)।
6. सम्बन्धित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी।
7. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी।
8. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी/नियंत्रण अधिकारी।
9. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक–विधि, जोधपुर/जयपुर।
10. अनुभाग अधिकारी, विधि अनुभाग, कार्यालय–हाजा।
11. सम्बन्धित याचिकार्थी।
12. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते